रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062025-263521 CG-DL-E-02062025-263521

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2388]

No. 2388]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2025/ज्येष्ठ 12, 1947 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2025/JYAISTHA 12, 1947

> वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2025

का.आ. 2447 (अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 8ख के उप-नियम (3) तथा उप-नियम (6) के खंड (ii), खंड (iii) और खंड (v) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (48) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 2 के उक्त खंड (48) के प्रयोजनों के लिए बंधपत्र (बॉन्ड) को निम्नलिखित विवरणों के साथ शून्य कूपन बंधपत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात:—

(क) बंधपत्र का नाम

- आरईसी लिमिटेड का दस वर्षीय शुन्य कुपन बंधपत्र

(ख) बंधपत्र की जीवन अवधि

- दस वर्ष छः माह

(ग) बंधपत्र जारी करने की समय-सारणी

- दिनांक 31 मार्च 2027 को या उससे पहले जारी किया जाएगा

3599 GI/2025 (1)

(घ) परिपक्वता या बंधपत्र के मोचन पर भगतान की जाने वाली राशि

- 5.000 करोड़ रुपये

- 2,200 करोड़ रुपये

(च) जारी किये जाने वाले बंधपत्रों की संख्या - पाँच लाख

[अधिसूचना सं. 52/2025 फा. सं. 300164/5/2024-आईटीए-।]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) **Central Board of Direct Taxes** (Income Tax)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2025

S.O. 2447(E).—In exercise of the powers conferred by clause (48) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), read with clause (ii), clause (iii) and clause (v) of sub-rule (3) and sub-rule (6) of rule 8B of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby specifies the bond with the following particulars as zero coupon bond for the purposes of the said clause (48) of Section 2 of the said Act, namely:—

(a) name of the bond - Ten Year Zero Coupon Bond of REC Ltd.

(b) period of life of the bond - Ten years six months

(c) the time schedule of the issue

of the bond

- To be issued on or before the 31st day of March 2027

(d) the amount to be paid on maturity

or redemption of the bond

- Rs. 5,000 crores

(e) the discount

- Rs. 2,200 crores

(f) the number of bonds to be issued

- Five lakhs

[Notification No. 52/2025 F. No. 300164/5/2024-ITA-1] MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.